फैक्स पत्र सं0-सी0/ए0-20-01/2012.....5874...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
रोहतास (सासाराम)।

पटना, दिनांक...08-09-15...

विषय:- **रोहतास (सासाराम) जिला के लिए अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभाग के पत्रांक-5720, दिनांक-05.09.2015 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा रोहतास (सासाराम) जिला के लिए कुल 19 (उन्नीस) अधिवक्ताओं को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त पत्र के क्रमांक-14 पर अंकित नाम श्रीमति कुमारी किरण शर्मा, पंजीयन संख्या-607/05 की नियुक्ति सहायक सरकारी वकील, रोहतास (सासाराम) के पद पर विधि विभागीय पत्र संख्या-5165/जे0, दिनांक-14.08.2015 द्वारा की जा चुकी है।

अत: श्रीमति कुमारी किरण शर्मा की अपर लोक अभियोजक, रोहतास (सासाराम) के पद पर नियुक्ति को रद्द करते हुए इनके स्थान पर राज्य सरकार ने श्री विनोद कुमार सिंह, पंजीयन संख्या-3343/2000 को अपर लोक अभियोजक, रोहतास (सासाराम) के पद पर नियुक्त करने की कृपा की गई है। साथ ही कार्यहित में श्री विद्यासागर राय, पंजीयन संख्या-1262/89 एवं श्री सुग्रीव चौधरी, पंजीयन संख्या-483/97 को अपर लोक अभियोजक, रोहतास (सासाराम) के पद पर इस शर्त्त के साथ नियुक्ति की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी का अपर लोक अभियोजक में प्रोन्नति के सभी 18 (अठारह) पदों पर समान प्रोन्नति होने की तिथि से इनकी नियुक्ति अपर लोक अभियोजक के पद से स्वत: समाप्त समझी जायेगी।

2. बाँकी सभी शर्त्ते यथावत् रहेगी।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....5874...../**जे0, पटना, दिनांक**...08-09-15...,

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास (सासाराम)/लोक अभियोजक, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....5874...../**जे0, पटना, दिनांक**...08-09-15...,

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

G:\08-09-2015\CA-SUMAN SIR.doc